

भारतीय महिला सशक्तिकरण: अधिकार, विधान और नीति।

अश्विनी भाऊरावजी चौधरी
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ नागपुर
राजनीति विज्ञान विभाग

Mrs. Sunanda Anshul Raut
research scholar
Politics Science (department)
The Rashtrasant Tukadoji Maharaj Nagpur University Nagpur.
Maharashtra, India

सारांश

आजादी के बाद देश में कई अनुत्तरित प्रश्न बने रहे। इनमें सबसे अहम मुद्दा था महिला सशक्तिकरण। इस संबंध में भारत सरकार ने अपनी सरकारी रणनीति बनाकर इस समस्या के समाधान के लिए कई प्रयास किये हैं। और मौजूदा हालात भी दिख रहे हैं।

भारत दुनिया की तुलना में एक पिछड़ा देश है और ऐसे पिछड़े देश में महिलाएं पुरुषों की नजर में पिछड़ी हैं और बहुजन, दलित, मुस्लिम महिलाएं कुलीन और उच्च वर्गीय समाज की महिलाओं की तुलना में बहुत पिछड़ी हैं, इसका पता इस बात से चलता है। भारत में रहने का सामाजिक वातावरण। यद्यपि महिलाएँ एक ही देश में एक ही आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वातावरण में रहती हैं, फिर भी वे विभिन्न भावनात्मक स्तरों पर रहती प्रतीत होती हैं। कुल मिलाकर, भारतीय महिलाएं संतुष्टि और वित्तीय कल्याण के मामले में पुरुषों से बहुत पीछे हैं। पिछड़े वर्ग, दलित, ग्रामीण, कम पढ़ी-लिखी, बहुजन महिलाओं में अत्यधिक गरीबी पाई जाती है।

स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाई और देश के सभी पहलुओं के विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास की योजना बनाने का निर्णय लिया गया।

आधी आबादी वाली महिलाओं से परहेज करके देश का विकास करना सरकार के लिए महिलाओं का अपेक्षित सहयोग और भागीदारी संभव नहीं है। इसीलिए विकास में महिलाओं की भागीदारी से महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सामने आया।

महिला सशक्तिकरण का मुद्दा सिर्फ भारत जैसे विकासशील या गरीब देशों में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे आगे है। इस कर 1985 में नैरोबी में आयोजित महिलाओं पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा गया था कि "महिला सशक्तिकरण उनके परिवारों, समुदायों, समाजों और राष्ट्र के सांस्कृतिक पहलुओं के कानूनी, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं का सशक्तिकरण है"। इसी विचार को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भी 2000 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया, वहीं भारत ने भी महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए 2001 को सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया।

डॉ. अम्बेडकर ने कहा है कि "भारतीय महिलाएं श्रम से नहीं, बल्कि आंसुओं से डरती हैं, वे निश्चित रूप से रोटी, असमान व्यवहार, अपमान, शोषण से डरती हैं।" नोबेल पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्यसेन ने लिखा है कि महिला सशक्तिकरण ही सकारात्मक परिणाम ला सकता है। महिलाओं के जीवन में बदलाव। कोई बदलाव नहीं। इसका सकारात्मक असर होगा। और पुरुषों और लड़कों को भी फायदा होगा।

भारत का संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों में वर्णित सभी लिंगों को समान अधिकार प्रदान करता है। भारत में महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव न करने और कानून के तहत समान सुरक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि :-

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्राचीन काल से ही महत्वपूर्ण रही है। वैदिक काल में महिलाएँ बुद्धिमान, शक्तिशाली और सशक्त थीं। वह पुरुष की पुरुका, आधी-अधूरी और सर्वशक्तिमान थी। उत्तर-वैदिक काल में विवाह, धर्म, धन और शिक्षा के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आने लगी। मध्यकाल में विदेशी आक्रमणों के कारण महिलाओं की स्थिति अधिक दयनीय हो गई। भ्रूण हत्या, सती प्रथा, जौहर, विधवा उपेक्षा, बहुविवाह, पर्दा, देवदासी जैसी कुरीतियाँ समाज में जमा हो गयीं। हालाँकि आधुनिक समय में विभिन्न धार्मिक समुदायों द्वारा महिलाओं की स्थिति में कुछ अंतर हैं, फिर भी पूरे भारतीय समाज में महिलाएँ पुरुषों के अधीन

दिखती हैं। जहां एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था समाज के संपूर्ण कामकाज को नियंत्रित करती है। महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण उनके बुनियादी विकास के लिए आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण का सीधा संबंध महिलाओं की उनके संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता से है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधीजी के नेतृत्व में महिला उत्थान आंदोलन शुरू हुए, लेकिन स्वतंत्र भारत में महिला आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक से मानी जाती है। 1967 में, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के उन्मूलन पर एक घोषणा जारी की और सिफारिश की कि सदस्य देश अपने देशों में महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट करें। 1974 में इस समिति ने समानता की दिशा में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति पर यह पहली सर्व-समावेशी रिपोर्ट थी।

समिति की रिपोर्ट में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयोगों की स्थापना के लिए सामाजिक कानून और विभिन्न संस्थानों में पर्याप्त सुधार, समन्वय, संचार और कार्यान्वयन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

इस प्रयास के एक भाग के रूप में, संसद ने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की और 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, विशेष रूप से महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी चरणों में भागीदारी। आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक कदम उठाने का संकल्प। जिसमें उच्च विधायी निकायों और शिक्षा, योजना आदि जैसे अन्य सभी क्षेत्रों में समयबद्ध आरक्षण शामिल है।

इस प्रयास के एक भाग के रूप में, संसद ने 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की और 2001 में महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ सभी क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करना, विशेष रूप से महिलाओं की पहुंच और भागीदारी सुनिश्चित करना था। राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के सभी चरणों में। आवश्यकतानुसार सभी आवश्यक कदम उठाने का संकल्प लिया गया, जिसमें उच्च विधायी निकायों और शिक्षा, योजना आदि जैसे अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यकाल का आरक्षण शामिल है।

महिलाओं के मानवाधिकार (मानव अधिकार)

महिलाओं के लिए कुछ मानवाधिकारों को इस प्रकार देखा जा सकता है -

1. महिलाओं को हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर अधिकार (अधिकार) दिये जायेंगे, यदि कोई इसका विरोध करेगा, अत्याचार करेगा, गलत ढंग से रोकेगा और रोकेगा तो यह अपराध माना जायेगा।
2. महिलाओं के खिलाफ परंपराओं, रीति-रिवाजों, कानूनों, नियमों और प्रथाओं को समाप्त करने के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। साथ ही महिलाओं और पुरुषों के समान अधिकारों के लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाएगी।
3. पूर्वाग्रहों को दूर करने और महिलाओं की हीनता पर आधारित सभी प्रकार की रीति-रिवाजों और परंपराओं को खत्म करने के लिए जनमत को शिक्षित किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय भावना को इस दिशा में मोड़ने के लिए सभी उचित कदम उठाये जायेंगे।
4. महिलाओं को पुरुषों के समान अपनी राष्ट्रीयता बदलने या बनाए रखने का समान अधिकार होगा, और किसी विदेशी पुरुष से विवाह से महिला (पत्नी) की राष्ट्रीयता स्वचालित रूप से प्रभावित नहीं होगी। अन्यथा उसे अपने पति की राष्ट्रीयता दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
5. पति और पत्नी की समानता सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाए जाएंगे, और विशेष रूप से महिलाओं को जीवन के लिए चयन करने, अपनी मर्जी से शादी करने की पुरुषों के समान स्वतंत्रता होगी, और महिलाओं को विवाह के दौरान या उसके बाद पुरुषों के समान अधिकार होंगे। शादी। सभी मामलों में बच्चों के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होंगे। बच्चों के संबंध में माता-पिता के अधिकार और कर्तव्य समान होंगे। सभी मामलों में बच्चों के सर्वोत्तम हित सर्वोपरि होंगे। महिलाओं की बिक्री और खरीद के साथ-साथ वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए ऐसे सभी उपाय किए जाएंगे जो उचित समझे जाएंगे।

भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों का सम्मान करने की संस्कृति अभी तक विकसित नहीं हुई है। न ही इसके लिए किसी तरह की सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तैयार की गई है। यही कारण है कि देश में विभिन्न स्तरों पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसका हर स्तर पर विरोध होता दिख रहा है। नारी मुक्ति की प्रणेता डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल पारित किया और यह बिल भारत के करोड़ों मूक-बधिर, अछूत, आदिवासी दलित, शूद्र महिलाओं को सदियों से गुलामी, अज्ञानता,

अस्पृश्यता और अवसर की असमानता से छीने गए मानवाधिकारों को बहाल करने के लिए संसद में पेश किया गया था। . हालाँकि, मानवाधिकारों के लिए लड़ने के कारण उन्हें 11 अक्टूबर 1951 को भारत के कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा।

महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कानून:-

- 1. मुस्लिम विवाह अधिनियम (1939)** - यह अधिनियम मुस्लिम पत्नी को अपना विवाह विच्छेद करने का अधिकार देता है।
- 2. महिलाओं की तस्करी (रोकथाम) अधिनियम (1959)** - वाणिज्यिक यौन शोषण की रोकथाम के लिए एक अधिनियम, अधिनियम महिलाओं के लिए प्रावधान करता है और लड़कियों की तस्करी रोकती है और महिलाओं को सशक्त बनाती है। और वेश्यावृत्ति बंद हो जाती है।
- 3. समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)** - पुरुषों के लिए समान कार्य या काम का प्रावधान करता है और पुरुषों और महिलाओं दोनों को उनके काम के लिए समान रूप से भुगतान करता है।
- 4. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (2005)** भारत में महिलाओं को सभी प्रकार की घरेलू हिंसा से बचाने वाला एक सर्व-समावेशी कानून है। इसमें वे महिलाएं भी शामिल हैं। दुर्व्यवहार के शिकार और किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक हिंसा से पीड़ित।
- 5. हिंदू विवाह अधिनियम (1956)** - भारतीय पुरुषों और महिलाओं को विवाह और विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए हैं।
- 6. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम (1956)** - यह कानून बेटी के लिए भी निर्देशित है करता है उन्हें अपने माता-पिता की संपत्ति में बच्चों के समान अधिकार है है बेटा और बेटी दोनों समान उत्तराधिकारी हैं।
- 7. मातृत्व लाभ अधिनियम (1961)** प्रसव से पहले और बाद की अवधि के लिए महिलाओं के रोजगार को नियंत्रित करता है। और मातृत्व लाभ और अन्य लाभ प्रदान करता है।
- 8. सती प्रथा (रोकथाम) अधिनियम (1987)** - यह अधिनियम सती जैसी कुप्रथा पर रोक लगाता है। और महिलाओं की महिमा को और अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।
- 9. दहेज निषेध अधिनियम (1961)** - इस अधिनियम के तहत दहेज देने या लेने पर पांच साल की कैद और 1500 रुपये का जुर्माना या दहेज की राशि, जो भी अधिक हो, दंडनीय है।
- 10. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम और निवारण) अधिनियम (2013)** - सभी कार्यस्थलों पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाता है सुरक्षा प्रदान करता है. संगठित हो या असंगठित, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र।
- 11। मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम (1986)** - यह कानून तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है।
- 12. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (1987)** महिलाओं को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। - यह कानून भारतीय है
- 13. खान अधिनियम (1952) और कारखाना अधिनियम (1986)** सुबह से शाम तक लागू रहते हैं। - यह अधिनियम 17 घंटे के दौरान महिलाओं के रोजगार को निर्धारित करता है यह अधिनियम खानों और कारखानों में उस दौरान सुरक्षा और कल्याण का अधिकार बताता है।
- 14. बाल विवाह निषेध अधिनियम (1976)**- यह अधिनियम 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बनाया गया था।

15. कुछ विशेष योजनाओं में महिलाओं के लिए अलग शौचालय और स्नानघर उपलब्ध कराने के लिए अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिक अधिनियम (1979) बनाया गया था।
16. महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन का निषेध अधिनियम (1986) - महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को रोकने और उस पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम।
17. 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम (1993) ने महिलाओं को ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में संवैधानिक रूप से संशोधित किया। 3 - ये आरक्षण प्रदान करें
18. विशेष विवाह अधिनियम (1954) - इस अधिनियम ने महिलाओं को वैवाहिक स्वतंत्रता के साथ-साथ धार्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान की। इस कानून के तहत कोई भी महिला अपना धर्म बदले बिना दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर सकती है।
19. भारतीय दंड संहिता (1980) - यह अधिनियम भारतीय महिलाओं को दहेज बलात्कार, अपहरण, क्रूरता और यौन अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है।
20. मातृत्व राहत अधिनियम (1961) - यह अधिनियम महिला कर्मचारियों को प्रसव/गर्भपात की अवधि के लिए या 80 कार्य दिवस पूरा होने के बाद मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया था।

महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी नीतियां:-

1979 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। यह सभी हस्ताक्षरकर्ता देशों को महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को खत्म करने और उनकी न्याय प्रणालियों में समानता के सिद्धांत को शामिल करने के लिए बाध्य करता है। इसमें भारत भी शामिल था। इसलिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाये गये। इसके परिणामस्वरूप, महाराष्ट्र राज्य ने सबसे पहले 1994 में महिलाओं के सर्वांगीण विकास और सशक्तिकरण के लिए एक नीति बनाई। इसके बाद भी, महाराष्ट्र सरकार ने दो और नीतियों की योजना बनाई है जो इस प्रकार हैं।

महिला धोरण - जुन - १९९४ :-

1994 में महिलाओं के लिए बनाई गई एक नीति के माध्यम से विकासात्मक दृष्टिकोण पर आधारित एक नई अवधारणा लागू की गई। आज की सामाजिक आवश्यकताओं और वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, सरकार उन संगठनों और व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी स्वीकार करती है जो समाज में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाओं और संबंधों की प्रचलित परंपराओं और अवधारणाओं को बदलने का प्रयास करते हैं। लक्ष्य, और इसी तरह, एक प्रगतिशील राष्ट्र के नागरिकों को उत्पादक कारकों के रूप में पुरुषों के बराबर अधिकार और जिम्मेदारियाँ प्राप्त हों। इसलिए महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए यह नीति बनाई गई है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और दुर्व्यवहार को खत्म करने के लिए कदम उठाना, प्रकट और निहित दोनों स्तरों पर कानूनी समान अधिकार स्थापित करना। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार, जनसंचार माध्यमों का समुचित उपयोग जिससे महिलाओं का विकास होगा। साथ ही स्थानीय स्व-सरकारी निकायों और सहकारी समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।

महिला नीति - 1998

1994 में पहली महिला नीति बनाई गई। इसी नीति में हर तीन साल में समीक्षा का प्रावधान है। तदनुसार, महाराष्ट्र में शिव सेना-भाजपा गठबंधन के दौरान, महिला नीति के संशोधित मसौदे पर जुलाई 1998 में राज्य विधानमंडल में चर्चा की गई। यह संशोधित चर्चा नई महिला नीति प्रारूप 1998 के रूप में सामने आई। इस नये मसौदे में पहली नीति (1994) के क्रियान्वयन में हुई गलतियों को दूर करने का प्रयास किया गया। प्रथम महिला नीति (1994) में मुख्य रूप से महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया था। अतः इस दूसरी महिला नीति (1998) में आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। वहीं, सितंबर 1995 में बीजिंग में आयोजित महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन में चर्चा किए गए मुद्दों को भी इस नीति में शामिल किया गया है। एक प्रकार से इसे विस्तारित महिला नीति कहा जा सकता है। इस नीति में शामिल पांच प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं -

क) कानून के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण।

ख) आर्थिक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण।

ग) महिलाओं को सामाजिक रूप से 'सशक्त' करने के लिए शिक्षा और साक्षरता।

घ) महिलाओं का स्वास्थ्य।

ई) वितरण प्रणाली।

महिला धोरण - २००२

महाराष्ट्र सरकार की महिला नीति, 1994, हर तीन साल में समीक्षा का प्रावधान करती है। तदनुसार, जुलाई 1998 में राज्य विधानमंडल में महिला नीति के संशोधित प्रारूप पर चर्चा की गई। इस चर्चा के बाद तथा विभिन्न संगठनों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए ई. 2001 में महिला नीति का यह नया प्रारूप तैयार किया गया है। इसे नई महिला नीति 2001 कहा जाता है। महिलाओं को 'सशक्त' करके ही हम समाज और राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं। महिला नीति में महिलाओं की भागीदारी, उनकी सुरक्षा, उनका आर्थिक उत्थान, उनका सशक्तिकरण और इन सबके लिए सक्षम वातावरण का निर्माण शामिल है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य (अभियान) (नीति) :-

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कोई नया स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नीति है। यह नीति समुदाय के स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित करने वाले मामलों (जैसे स्वच्छता, पोषण, सुरक्षित जल आपूर्ति आदि) का विशेष ध्यान रखेगी। अभियान की अवधारणा स्वास्थ्य देखभाल वितरण के तरीके में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन करना है। यह अभियान प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय रोग सर्वेक्षण एवं नियंत्रण कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वहीं, यह नीति केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के साथ-साथ गरीबी रेखा से नीचे के लाभार्थियों को अधिक और गुणवत्तापूर्ण और प्रभावी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए 2005-12 की अवधि के लिए बनाई गई है।

संदर्भसूची

- 1) यशदा:- महिला एवं बाल विकास-नीतियाँ एवं निर्णय।
- 2) आशा कोशिक : मानवधिकार और राज्य बदलते संदर्भ, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर 2004.
- 3) पाटिल महेंद्र - भारतीय संविधान का परिचय, अथर्व प्रकाशन, जलगांव।
- 4) पाटिल संतोष संभाजी, मानवाधिकार।
- 5) देवारे जयश्री :- महिला सशक्तिकरण एवं सरकारी योजनाएं।
- 6) गिट्टे चन्द्रशेखर :- महाराष्ट्र में ग्रामीण विकास में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण।